न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः सुमित्रा पारीक, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 04/2021, गुण्डा एक्ट

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा ।

बनाम

1. गैर सायल धर्मचन्द पुत्र श्री मूल्याराम जाति कोली निवासी कोली मौहल्ला रामगढ थाना महवा जिला दौसा।

(कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975)

उपस्थिति : लोक अभियोजक – राजकीय अधिवक्ता उपस्थित ।

: गैर सायल धर्मचन्द पुत्र श्री मूल्याराम स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः–27.03.2024

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना महवा जिला दौसा की ओर से पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा संक्षिप्त वाक्यात इस प्रकार से है कि गैर सायल धर्मचन्द पुत्र श्री मूल्याराम जाति कोली निवासी कोली मौहल्ला रामगढ थाना महवा जिला दौसा के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र. स.	पुलिस थाना	मुकदमा नम्बर	कायमी दिनांक	धारा	चार्जशीट नम्बर	चार्जशीट दिनांक	फैसला
1.	महवा	492/2019	05.09.2019	13 आरपीजीओ	275/19	12.09.2019	200/– अर्थदण्ड सजा दिनांक 16.09.2019
2.	महवा	669/2019	30.11.2019	13 आरपीजीओ	358/19	05.12.2019	200/– अर्थदण्ड सजा दिनांक 18.04.2019

उक्त शख्स धर्मचन्द पुत्र श्री मूल्याराम जाति कोली निवासी कोली मौहल्ला रामगढ थाना महवा जिला दौसा जुंआ खेलने का आदि है तथा अन्य लोगो को भी जुंआ खेलने के लिये प्रेरित करता है, जिससे आमजन पर विपरीत प्रभाव पडता है। वर्तमान में इसकी आपराधिक गतिविधियां निर्बाध रूप से जारी है, जिससे गैर सायल के विरूद्ध आमजन शिकायत करने से डरते है गैर सायल की आपराधिक गतिविधियों पर नियन्त्रण करने व समाज में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु यह इस्तगासा प्रस्तुत कर उक्त गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासित करने की कार्यवाही कराने का निवेदन किया गया है।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल नियत तारीख पेशी पर लोक अभियोजक एवं गैर सायल की बहस सुनी गई।

लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की गैर सायल अपराधी के विरूद्ध थाना महवा जिला दौसा में जुंअे सट्टे के अपराध से सम्बन्धित धारा 13 आरपीजीओ के प्रकरण दर्ज है, जिसमे गैर सायल को सजा से दण्डित भी किया जा चुका है। न्यायालय से गैर सायल को पाबन्द करवाये जाने के बाद भी गैर सायल जुआं सट्टे के अपराध में लिप्त है। गैर सायल की आपराधिक गतिविधियां बढती जा रही है। जिससे समाज में अशान्ति व भय उत्पन्न हो गया। गैर सायल अपराध करने का अभ्यस्थ हो गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.03.30 11:39:47 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः गैर सायल धर्मचन्द पुत्र श्री मूल्याराम जाति कोली निवासी कोली मौहल्ला रामगढ थाना महवा जिला दौसा को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण एक्ट 1975 के अन्तर्गत धारा 3 के तहत जनहित में दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाना आवश्यक है। ताकि उक्त शख्स की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लग सके।

गैर सायल द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि मैं एक मजदूरी पेशा व्यक्ति हूँ। जो सिलाई का काम करके अपना एवं अपने परिवार का जीवनयापन करता हूँ। प्रार्थी के विरूद्ध दर्ज केवल मात्र 13 आरपीजीओ के प्रकरण है। प्रार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों में प्रार्थी को दण्डित भी किया जा चुका है। प्रार्थी के विरूद्ध वर्तमान में कोई भी प्रकरण विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी पर गुण्डा एक्ट की कार्यवाही लागू नहीं होती है। प्रार्थी मेहनत मजदूरी करके अपना एवं अपने परिवार का जीवनयापन करता है। प्रार्थी के प्रति नरमी का रूख अपनाया जावे एवं प्रार्थी के विरूद्ध की गई धारा 3 गुण्डा एक्ट अधिनियम की कार्यवाही निरस्त किये जाने का श्रम करें।

लोक अभियोजक एवं गैर सायल की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैर सायल के विरूद्ध पूर्व में 13 आरपीजीओ के प्रकरण दर्ज है। धारा 13 आरपीजीओ के प्रकरणों में प्रार्थी को सजा से दण्डित किया जा चुका है। जिला पुलिस अधीक्षक दौसा द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार गैर सायल धर्मचन्द पुत्र श्री मूल्याराम जाति कोली निवासी कोली मौहल्ला रामगढ थाना महवा जिला दौसा जुंआ सट्टा खेलने का आदि है तथा अन्य लोगो को भी जुंआ सट्टा खेलने के लिये प्रेरित करने के कारण आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त होने से उक्त अधिनियम के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। वर्तमान में लोकसभा आम चुनाव–2024 के मध्यनजर जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं आमजन को जुआ–सट्टे के अपराध के दुष्प्रेरण से बचाने के लिये ऐसे आदतन अपराधी के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा एक्ट 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे अपराधी समाज के माहौल को खराब नहीं कर सके एवं समाज में शांति एवं सदभावना बनी रहे।

उपरोक्त विवेचनानुसार गैर सायल धर्मचन्द पुत्र श्री मूल्याराम जाति कोली निवासी कोली मौहल्ला रामगढ थाना महवा जिला दौसा को दिनांक 28.03.2024 से 30 दिवस की समयावधि के लिए दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि गैर सायल महवा जिला दौसा के रास्ते होते हुए थाना हिण्डौन सिटी जिला करौली पहुंचेगा तथा अपनी उपस्थिति थानाधिकारी थाना हिण्डौन सिटी जिला करौली को दर्ज करवाएगा। निष्कासित समयावधि में गैर सायल थाना क्षेत्र हिण्डौन सिटी जिला करौली में निवास करते हुए प्रत्येक बुधवार को थानाधिकारी थाना हिण्डौन सिटी जिला करौली के समक्ष अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक दौसा एवं करौली को पालना हेतु आदेश की प्रति भिजवाई जावे।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

यह निर्णय आज दिनांक 27.03.2024 को खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.03.30 11:39:47 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा